


आदेश पत्रक
(नियम 13)

178/2024

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix "B" Form No. 9)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़	बनाम	जवाहरसिंह पुत्र खरताराम वगैरह जाति जाट निवासी नवलडी
किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अं.धा. 131, 132 भू-राजस्व		मु.नं.178/2024
आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
19/11/2024	<p>यह प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा पेश किया गया, प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। नियमानुसार संबंधित पक्षकारान की तलबी जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 19/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (झुन्झुनू)</p>	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ जिला झुंझुनू (राज0)

दिनांक : 19/11/2024

क्रमांक : राजस्व/24/699

प्रेषित:-

तहसीलदार

नवलगढ़

मु.नं.:- अंतर्गत धारा:- 131,132 भू-राजस्व अधिनियम

आदेश

राजस्व(ग्रुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं जिला कलक्टर झुंझुनू के पत्र क्रमांक प12(40)राज/2016/2486-201 दिनांक 26.08.2016 की पालना में तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि आप द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट के अनुसार रास्तो का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60,66,86 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। अतः आप द्वारा प्रस्तावित निम्न लिखित रास्तों का नामान्तरण तस्दीक कर राजस्व अभिलेख में लाल स्याही से अंकन करें तथा राजस्व नक्शों में तस्मीम करें, एवं नक्शा, जमाबन्दी में रास्ते का नम्बर पृथक से अंकित किया जावे तथा रास्ते रकबे सहित किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज की जावेगी। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तावित सूची व नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग होगा।

क्रम सं.	नाम पटवार मण्डल	ग्राम का नाम	खाता संख्या	तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमी का विवरण सूची मय खसरा नम्बर एवं नक्शा ट्रेस सहित
1	नवलडी	नवलडी	नया खाता संख्या क्रमशः 243, 531, 491, 361, 318, 482, 469, 415	खसरा नं. क्रमशः 865, 848, 847, 846, 841, 840, 828, 886 तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ते की सूची व नक्शा ट्रेस के मुताबिक


(जयसिंह)

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनू)

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ मुकाम कैम्प.....
मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रास्ता

मुकदमा नम्बर/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
	<p>राजस्व(गुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज-6/2003 / पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार नवलगढ के पत्रांक राजस्व/2024/748 दिनांक. 15.10.2024. द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहें रास्तो का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम... नवलडी... ग्राम पंचायत.....नवलडी..... पटवार मण्डलनवलडी.... भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त.नवलडी.... तहसील नवलगढ में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में स्थाई अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्सा ट्रेस, मौका पर्चा के प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट रास्ता खसरा नम्बर क्रमशः 865, 848, 847, 846, 841, 840, 828, 886 तक जाता है। रास्ता काफी वर्षो से प्रचलित है एवं कदीमी है। यह रास्ता ग्राम तोगड़ा कलां की भूमि खसरा नम्बर क्रमशः : 865, 848, 847, 846, 841, 840, 828, 886 से होकर गुजरता है। यह रास्ता उक्त खसरा नम्बरो में मौके पर चालू है लेकिन रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। रास्ते की चौड़ाईमीटर है। प्रस्तावित रास्ते की नक्सा ट्रेस में लाल स्याही(डोटेटेड लाईन) से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता बाराहमासी प्रचलित है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलता नहीं है ओर आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते कि किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>पत्रावली व प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 59,59,60,66,86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार नवलगढ के द्वारा अभिशंसित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व</p>	

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (सुन्सुन्)

नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम... नवलडी... ग्राम पंचायत.....नवलडी..... पटवार मण्डलनवलडी.... भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त.नवलडी.... तहसील नवलगढ की भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 865(865/1 में से 0.02 है., 865/2 में से 1.25 है.), 848(848/1 में से 0.01 है., 848/2 में से 1.95 है.), 847(847/1 में से 0.02 है., 847/2 में से 1.75 है.), 846(846/1 में से 0.32 है., 846/2 में से 0.01 है.), 841(841/1 में से 0.01 है. 841/2 में से 2.50 है.), 840(840/1 में से 0.03 है., 840/2 में से 4.62 है.), 828(828/1 में से 0.03 है., 828/2 में से 3.62 है.), 886(886/1 में से 0.06 है., 886/2 में से 1.75 है.), भूमि का राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबधित खातेदार के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार नवलगढ द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा, तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



(जयसिंह)

उपसहायक अधिकारी
नवलगढ (कानून)